(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 107 **नई दिल्ली,** **13 जुलाई, 2006**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार इस्पात छड़ों के लिए घाटशुल्क की वसूली के संबंध में जावहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त पत्र का निपटान करता है।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/8/2006-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) .... **आवेदक**

आदेश

(जून, 2006 के 26 वें दिन पारित किया गया)

यह मामला इस्पात छड़ों के लिए घाटशुल्क की वसूली के संबंध में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त एक पत्र से संबंधित है।

2.1 जेएनपीटी द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:—

(i) जेएनपीटी के मौजूदा दरों के मान में इस्पात छड़ों के लिए कोई अलग दर निर्धारित नहीं की गई है।

(ii) एक विशेष मामले में, जहां मुम्बई पत्तन में ढुलाई के लिए पोत से बार्जों में पोतांतरण हेतु इस्पात छड़ों का प्रहस्तन किया गया था, तब जेएनपीटी ने अपने प्रशुल्क में उल्लिखित शर्तों के अनुसार घाटशुल्क के रूप में इस्पात छड़ कार्गो को सामान्य आकार से बड़ा कार्गो (ओडीसी) मानते हुए 625/- रुपए प्रति मी. टन की दर पर बिल में शामिल किया था।

(iii) अधिसूचित पत्तन प्रशुल्क के अनुसार जेएनपीटी का "अनिर्दिष्ट मदें" के रूप में एक पृथक लेखा है, जिसमें 135/- रुपए प्रति मी. टन की दर पर वसूली की जाती है।

(iv) संबंधित एजेंटस मैसर्स जे.एम. बक्शी एंड कंपनी ने जेएनपीटी से अभ्यावेदन किया है कि चूंकि कार्गो बंडलों में इस्पात स्लैबों से मिलता-जुलता है, इसलिए जेएनपीटी इस्पात स्लैबों अथवा अनिर्दिष्ट कार्गो के लिए लागू 135/- रुपए प्रति मी. टन की दर पर लागू घाटशुल्क वसूल कर सकता है। प्रयोक्ता ने भी उल्लेख किया है कि मुम्बई पत्तन न्यास में छड़ों के लिए घाटशुल्क 27.60 रुपए प्रति मी. टन है।

(v) इस्पात छड़ों के प्रहस्तन के लिए वित्तीय आशय संबंधी तीन निम्नलिखित विकल्प हैं:-

		दर प्रति मी. टन
(i)	ओडीसी कार्गो के अनुसार	625.00 रुपए
(ii)	अनिर्दिष्ट कार्गो के अनुसार	135.00 रुपए

(iii) एमबीपीटी प्रशुल्क के अनुसार	27.60 रुपए

(vi) मौजूदा जेएनपीटी प्रशुल्क में कार्गो छड़ों की स्पष्ट परिभाषा/वर्गीकरण न होने के कारण और जेएनपीटी तथा एमबीपीटी द्वारा वसूल की जा रही दरों में घट-बढ़ को हिसाब में लेते हुए यह मामला उपयुक्त परामर्श के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जेएनपीटी के न्यासी बोर्ड ने निर्णय किया कि यह प्रस्ताव महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को स्पष्टीकरण के लिए भेजा जाए कि क्या इस्पात छड़ों को "अनिर्दिष्ट कार्गो" अथवा "सामान्य आकार से बड़ा कार्गो" के अंतर्गत शामिल करने पर विचार किया जाए।

2.2 इस पृष्ठभूमि में, जेएनपीटी ने इस प्राधिकरण से इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार जेएनपीटी से प्राप्त पत्र संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां पुनः जानकारी के रूप में जेएनपीटी को अग्रेषित की गई थीं।

4.1 संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.2.3 में यह निर्धारित किया गया है कि घाटशुल्क अनुसूची के अंतर्गत "अनिर्दिष्ट" श्रेणी के अधीन किसी कार्गो का वर्गीकरण करने से पहले संबंधित सीमा शुल्क वर्गीकरण का यह पता लगाने के लिए अवलोकन किया जाए कि क्या कार्गो को घाटशुल्क अनुसूची में उल्लिखित विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए, हमारे दिनांक 10 मार्च, 2006 के पत्र द्वारा जेएनपीटी से किन्ही संबंधित सीमाशुल्क वर्गीकरण का अवलोकन करने और यह पता लगाने के लिए अनुरोध किया गया था कि क्या उक्त कार्गो को घाटशुल्क अनुसूची में उल्लिखित किन्हीं विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

4.2 जेएनपीटी ने अपने दिनांक 2 मई, 2006 के पत्र द्वारा उत्तर दिया है और जेएनपीटी के उत्तर का सारांश नीचे दिया गया हैः-

(i) चूंकि, छड़ों के एक बंडल का वजन 3 मी. टन से अधिक है, इसलिए परेषण जेएनपीटी प्रशुल्क में दी गई ओडीसी कार्गो की परिभाषा के अनुसार ओडीसी कार्गो के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है।

(ii) सीमा शुल्क के निर्धारण के लिए यह मद "लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है (अध्याय-72 की मद संख्या 72071920)।

(iii) मौजूदा जेएनपीटी प्रशुल्क में "लौह अथवा इस्पात के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के लिए कोई अलग वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(iv) मौजूदा जेएनपीटी प्रशुल्क में उल्लिखित इस्पात स्लैबों को मोटे तौर पर "लौह अथवा इस्पात श्रेणी के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

(v) सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार इस्पात स्लैब और वर्तमान परेषण दोनों ही "लौह और इस्पात श्रेणी के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के अंतर्गत आते हैं।

5. संदर्भगत मामले में एक संयुक्त सुनवाई दिनांक 24 मई, 2006 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी। इस संयुक्त सुनवाई में जेएनपीटी और प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने अनुरोध प्रस्तुत किए थे।

6. इस मामले में परामर्श से संबद्ध कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्डों में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्यौरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority. gov.in में भी उपलब्ध हैं।

7. इस मामले में की गई जांच-पड़ताल के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभरती हैः-

(i) यह मामला जेएनपीटी में घाटशुल्क प्रभारों की वसूली के प्रयोजनार्थ इस्पात छड़ों के वर्गीकरण से संबंधित है।

(ii) जेएनपीटी के दरों के मान की पिछली बार समीक्षा अगस्त, 2002 में की गई थी। जेएनपीटी की घाटशुल्क अनुसूची की मद संख्या 8 में 12 मीटर से कम लंबाई वाली इस्पात की पाइपों और 12 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाली इस्पात पाइपों के लिए घाटशुल्क दर क्रमश 117.50 रुपए और 135 रुपए प्रति मी. टन निर्धारित की गई है। उसी अनुसूची की मद संख्या 26 में इस्पात स्लैब के लिए 135 रुपए प्रति मी.टन की दर निर्धारित की गई है। घाटशुल्क अनुसूची की मद संख्या 27 में सूचीबद्ध अनिर्दिष्ट मदों के लिए दर 135 रुपए प्रति मी. टन रखी गई है।

(iii) सर्वसम्मति से, घाटशुल्क अनुसूची में "इस्पात छड़ें" नाम से कार्गो का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। यह मानना होगा कि किसी पत्तन से गुजरने वाली सभी संभावित वस्तुओं को मदकृत करना और तत्संबंधी अलग-अलग घाटशुल्क दरें निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं हो सकता।

(iv) जेएनपीटी ने घाटशुल्क अनुसूची में इस्पात छड़ों के वर्गीकरण के संबंध में इस प्राधिकरण से निर्देश देने का अनुरोध किया है। यह प्राधिकरण निर्देश प्रदान नहीं करता और लागत तथा अन्य विवरणों की जांच-पड़ताल के आधार पर दरों का मान तैयार करता है। संदर्भगत मामला लागत आधारित प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह घाटशुल्क अनुसूची में किसी विशेष कार्गो के वर्गीकरण हेतु जेएनपीटी द्वारा भेजा गया एक पत्र है। अन्य शब्दों में, यह मामला दरों के मान के स्पष्टीकरण से संबंधित है।

(v) जेएनपीटी द्वारा इस प्राधिकरण को भेजा गया पत्र यह स्पष्ट करने के लिए है कि क्या "इस्पात छड़ें" "सामान्य आकार से बड़ा कार्गो" अथवा "अनिर्दिष्ट कार्गो" के अंतर्गत आती हैं।

3 मी. टन से अधिक वजन वाले पैकेज पर जेएनपीटी के दरों के मान में निर्धारित सामान्य आकार से बड़े कार्गो के लिए लागू के अनुसार प्रभार वसूल किया जाता है। तथापि, दरों के मान में विनिर्दिष्ट किया गया है कि सामान्य आकार से बड़े कार्गो की परिभाषा इस्पात पाइपों/कॉयल्स/स्लैबों पर लागू नहीं होती। जैसाकि जेएनपीटी द्वारा उल्लेख किया गया है कि इस्पात छड़ें और इस्पात स्लैब सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार लौह अथवा इस्पात श्रेणी के अर्ध-तैयारशुदा उत्पादों के अंतर्गत आती हैं। इसे देखते हुए, इस्पात छड़ें जौकि लौह-अयस्क इस्पात जैसे इस्पात स्लैब के अर्ध तैयार-शुदा उत्पाद हैं, को भी तर्कसंगत रूप से सामान्य आकार से बड़े कार्गो की श्रेणी की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रहस्तन की सुविधा के लिए इस्पात छड़ों को मात्र बंड़लों में बांध देना उक्त कार्गो को सामान्य आकार से बड़ा कार्गो मानने के लिए एकमात्र आधार नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि जेएनपीटी का न्यासी बोर्ड भी प्रत्यक्षतः उक्त कार्गो को प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों द्वारा प्रकटीकरण पर "सामान्य आकार से बड़ा कार्गो" के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में संतुष्ट नहीं है।

(vi) प्रयोक्ताओं की ओर से यह सुझाव है कि इस्पात छड़ें "अनिर्दिष्ट" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती हैं। संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.2.3 में यह निर्धारित किया गया है कि घाटशुल्क अनुसूची के अंतर्गत "अनिर्दिष्ट" श्रेणी के अधीन किसी कार्गो का वर्गीकरण करने से पहले संबंधित सीमाशुल्क वर्गीकरण का यह पता लगाने के लिए अवलोकन किया जाना चाहिए कि क्या कार्गो को घाटशुल्क अनुसूची में उल्लिखित किन्ही भी विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। जेएनपीटी ने पुष्टि की है कि "इस्पात छड़ें" शुल्क के निर्धारण के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत "लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के अधीन वर्गीकृत की गई हैं। इसे देखते हुए, इस्पात छड़ें "अनिर्दिष्ट कार्गो" की श्रेणी के अंतर्गत भी नहीं लाई जा सकती।

(vii) सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार, इस्पात छड़ें "लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के अंतर्गत आती हैं। परंतु, जेएनपीटी की मौजूदा घाटशुल्क अनुसूची में "लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के लिए कोई अलग प्रशुल्क मद निर्धारित नहीं की गई है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि "इस्पात स्लैब" जिसके लिए दरों के मान में एक अलग घाटशुल्क दर निर्धारित की गई है, उसे भी "लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के अधीन वगीकृत किया गया है। संक्षेप में "इस्पात स्लैब" और "इस्पात छड़ें", दोनों ही "लौह एवं इस्पात के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसे देखते हुए, कोई विशेष लागत ब्यौरे उपलब्ध न कराए जाने के कारण इस्पात छड़ें तर्कसंगत रूप से घाट शुल्क दर की वसूली के प्रयोजनार्थ इस्पात स्लैबों के समूह में रखी जा सकती हैं, जिसके लिए दर 135 रुपए प्रति मी. टन है। यह मानना होगा कि घाटशुल्क दरें प्रहस्तन प्रयासों का कार्य होनी चाहिए, जोकि संबंधित पत्तन से अपेक्षित होते हैं और आधारभूत/ऊपरी संरचनात्मक अपेक्षाएं ऐसे कार्य पूरा करने के लिए अपेक्षित होती है। आदर्श बात यह होती कि जेएनपीटी संयोग प्रदत्त सुविधाओं और प्रहस्तन की लागत के आधार पर इस्पात छड़ों के प्रहस्तन के लिए घाटशुल्क प्रभार प्रस्तावित करता। यह संयोग है कि प्रयोक्ताओं द्वारा सुझाई गई 135 रुपए प्रति मी. टन की दर इस्पात स्लैबों के लिए घाटशुल्क दर ही है, जिसे कि इस्पात छड़ों के लिए लागू किया जाना है।

(viii) बीसीएचएए ने इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को पूर्व-प्रभाव से लागू करने पर आपत्ति की है। सामान्यतया इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रशुल्क केवल भावी प्रभाव से ही लागू होते हैं। तथापि वर्तमान मामला दर-निर्धारण के लिए प्रस्ताव नहीं है। यह घाटशुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ कार्गो के सही वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण देने के लिए जेएनपीटी द्वारा लिखा गया एक पत्र है। दरों के मान में स्पष्टता की कमी के कारण जेएनपीटी द्वारा गलत वर्गीकरण किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप उक्त कार्गो पर गलत घाटशुल्क दर लागू की गई है। इसलिए, यह उपयुक्त है कि जेएनपीटी को इस्पात छड़ों के गलत वर्गीकरण के आधार पर अपने तैयार किए गए पूर्ववर्ती बिलों को सही करना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि इस प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के मामला संख्या टीएएमपी/72/99-सीएचपीटी में दिनांक 10 अप्रैल, 2000 के आदेश द्वारा अधिक वसूल किए गए घाटशुल्क की वापसी और सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार घाटशुल्क प्रभारों के निर्धारण के लिए पायलट फर्मेंटेशन प्लांट के पुनःवर्गीकरण के लिए आदेश जारी किया था। ऐसा ही दृष्टिकोण मामला संख्या टीएएमपी/29/2002-सीएचपीटी में दिनांक 12 अगस्त, 2002 के आदेश के अनुसार

सीएचपीटी द्वारा अधिक वसूल किए गए घाटशुल्क की वापसी और "लिनेन फैब्रिक" को सही रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपनाया गया था। अतः यह प्राधिकरण जेएनपीटी से अपेक्षा करता है कि वे जेएनपीटी के दरों के मान के अध्याय-V में खंड 5.1 घाटशुल्क में मद संख्या 26 के अधीन इस्पात छड़ों के सही वर्गीकरण के संदर्भ में अपने बिलों का समायोजन करे।

(ix) चूंकि, इस मामले में जेएनपीटी द्वारा बिलों का पूर्व-प्रभाव से समायोजन शामिल है इसलिए इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वापसी अदायगी का लाभ अंत्य भारतीय निर्यातक/आयातक तक पहुंचना चाहिए। जेएनपीटी अधिक एकत्र की गई राशि की वापसी अदायगी संबंधित एजेंट को करे और लागू प्रभारों की वापसी अदायगी के बारे में संबंधित आयातक/निर्यातक को भी सूचित करे।

8. परिणामतः ऊपर दिए गए कारणों और समग्र ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि "इस्पात छड़ें" नामक कार्गो को जेएनपीटी के दरों के मान के अध्याय-V में खंड 5.1 घाटशुल्क की मद संख्या 26 के अधीन घाटशुल्क में भारित किया जाए। परिणामस्वरुप, जेएनपीटी को अपने बिल तदनुसर समायोजित करने चाहिए और गलत वर्गीकरण के कारण एकत्र की गई अधिक राशि, यादि कोई हो, की वापसी अदायगी करनी चाहिए।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष